तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
	निगरानी/टी.ए./934/2005/चित्तौडगढ **पंचान बोहरा प्रतापगढ बनाम श्रीमती चन्दा व अन्य**	
	एकल–पीठ **श्री धूकलराम कसवॉ, सदस्य** **उपस्थितः–** (1) श्री ओ.एल.दवे अभिभाषक प्रार्थी (2) श्री के.के.पुरोहित अभिभाषक अप्रार्थी (3) श्री पी.एस.दशौरा अभिभाषक अप्रार्थी **निर्णय दिनांक :** यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौक्डगढ के आदेश दिनांक 30–11–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। 2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि उपखण्ड अधिकारी प्रतापगढ द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर दिनांक 23–5–02को वाद डिक्री किया गया। जिसके विरूद्ध प्रार्थी ने विचारण न्यायालय के समक्ष एकतरफा निर्णय व डिक्री को निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत किया एवं एकतरफा निर्णय व डिक्री की अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में की गई। प्रार्थी ने आदेश 9 नियम 13 जाब्ता दीवानी के प्रार्थना पत्र का निस्तारण होने तक अपील की कार्यवाही को स्थगित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित आदेश के द्वारा खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह निगरानी मण्डल के समक्ष पेश की गई है। 3– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस निगरानी पर सुनी गई। 4– प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि एकतरफा निर्णय व डिक्री के विरूद्ध आदेश 9 नियम 13 जाब्ता दीवानी के तहत प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया जा सकता है और अपील भी प्रस्तुत कर सकता है। अगर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जाब्ता दीवानी को स्वीकार कर लिया जाता है तो प्रार्थी अपनी अपील को वापस ले सकता	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./934/2005/चित्तौडगढ</u>** **पंचान बोहरा प्रतापगढ बनाम श्रीमती चन्दा व अन्य**	
	है और अगर अपील स्वीकार कर ली जाती है तो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जाब्ता दीवानी को वापस ले सकता है। प्रार्थी अपने परिवाद का स्वामी होता है वह किसको चलावे अथवा किसको वापस उठावे अथवा पहले किसे निर्णित करावे,उसे इस बात का अधिकार होता है। वर्तमान प्रकरण में प्रार्थी आदेश9 नियम 13 जाब्ता दीवानी के प्रार्थना पत्र जो विचारण न्यायालय में विचाराधीन है उसे पहले निर्णित कराना चाहता है और अपील की कार्यवाही को स्थगित कराना चाहता है। इसमें न्यायालय को कोई एतराज नहीं होना चाहिये किन्त तथ्य को समझे बिना प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने में विधिक भूल की है। इसलिये निगरानी स्वीकार की जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जाब्ता दीवानी को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र के निस्तारण होने तक राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन अपील की सुनवाई स्थगित की 5– जबाब में अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस बताया कि प्रार्थी या तो विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत कर सकता है अथवा अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। दोनों में से एक ही उपचार काम में ले सकता है। दोनों उपचार हेतु एक साथ अलग अलग न्यायालयों में निवेदन नहीं कर सकता है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज करने में कोई विधिक भूल नहीं की है। निगरानी खारिज योग्य है। 6– हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। 7– प्रार्थी ने अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आदेश 9 नियम 13 जाब्ता दीवानी के प्रार्थना पत्र का निस्तारण होने तक अपील की कार्यवाही को स्थगित रखा जावे। उपखण्ड अधिकारी प्रतापगढ द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर दिनांक 23–5–02को वाद डिक्री किया गया। जिसके विरूद्ध प्रार्थी ने विचारण न्यायालय के समक्ष एकतरफा निर्णय व डिक्री को	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./934/2005/चित्तौडगढ</u>** **पंचान बोहरा प्रतापगढ बनाम श्रीमती चन्दा व अन्य**	
	निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जाब्ता दीवानी विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया एवं एकतरफा में पारित निर्णय व डिक्री की अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में की गई। प्रार्थी दोनों उपचार एक साथ काम में नहीं ले सकता है। दोनों में से एक ही उपचार काम में ले सकता है। प्रार्थी या तो एकतरफा में पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त कराने हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत कर सकता है या एकतरफा में पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर सकता है। आदेश 9 नियम 13 जाब्ता दीवानी में एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने सम्बन्धी जो प्रावधान हैं उसके परन्तुक–2 के नीचे निम्न स्पष्टीकरण दिया गया है–''जहां इस नियम के अधीन एक पक्षीय पारित डिक्री के विरूद्ध अपील की गई है और अपील का निपटारा इस आधार से भिन्न किसी आधार पर कर दिया गया है कि अपीलार्थी ने अपील वापस ले ली है वहां उस एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने के लिये इस नियम के अधीन कोई आवेदन नहीं होगा।'' इसलिये अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151जाब्ता दीवानी को खारिज करने में कोई विधिक भूल नहीं की है। अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(धूकलराम कसवाँ)** **सदस्य**	